भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 850

(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसंबर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया)

सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थी

850. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्रीमती चिंता अनुराधाः
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्री मुद्दीला गुरूमूर्तिः
श्री कुरूवा गोरांतला माधवः
श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत पूरे किए गए कार्यों/परियोजनाओं का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में सीएसआर के तहत सहायता प्राप्त करने वाली कंपनियों और पूरे किए गए कार्यों/परियोजनाओं का जिला-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में उक्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यों के लाभार्थियों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(घ) आंध्र प्रदेश में सीएसआर के तहत जिन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया है उनका ब्यौरा और नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों द्वारा खर्च की गई सीएसआर निधि की संपरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिस www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। तथापि, वर्तमान सीएसआर फाइलिंग कंपनियों की

जारी 2/-

सीएसआर परियोजनाओं का लाभार्थी-वार ब्यौरा समाहित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, सीएसआर परियोजनाओं या कार्यकलापों की पूरा होने की स्थिति का सरकार द्वारा अलग से रखरखाव नहीं किया जाता है।

कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर सभी कंपनियों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और विकास क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: अनुलग्नक-I और II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वि.व. 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में सभी कंपनियों द्वारा किया गया जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमश: अनुलग्नक-III और IV में दिया गया है।

(ड.): इस अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों का विवरण वार्षिक रूप से एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल करना अपेक्षित है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय की राशि के संबंध में अपने लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जिसकी लेखापरीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बोर्ड को बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित निधियों, किया गया व्यय, नियुक्त की गई कार्यान्वयन एजेंसियों आदि के ब्यौरे सहित, कंपनी द्वारा विकसित एवं लागू की गई सीएसआर नीति का प्रकटन करना भी अपेक्षित है। मौजूदा विधिक प्रावधान जैसे अनिवार्य प्रकटन, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधान आदि के साथ-साथ, कारपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है।

*****

लोक सभा में दिनांक 12.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 850 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार किया गया सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रु में)				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**विव 2018-19**	**विव 2019-20**	**विव 2020-21**
1	अंडमान और निकोबार	**0.82**	**1.29**	**2.86**
2	आंध्र प्रदेश	**665.97**	**710.12**	**715.81**
3	अरुणाचल प्रदेश	**24.56**	**18.02**	**10.58**
4	असम	**210.00**	**285.00**	**167.78**
5	बिहार	**137.57**	**110.48**	**79.30**
6	चंडीगढ़	**11.46**	**15.58**	**13.19**
7	छत्तीसगढ़	**149.35**	**269.68**	**307.83**
8	दादरा और नगर हवेली	**13.48**	**18.34**	**21.98**
9	दमन और दीव	**6.25**	**9.53**	**5.25**
10	दिल्ली	**750.76**	**829.50**	**713.58**
11	गोवा	**46.77**	**43.91**	**41.78**
12	गुजरात	**1,082.18**	**984.15**	**1,443.62**
13	हरियाणा	**378.11**	**536.57**	**542.45**
14	हिमाचल प्रदेश	**78.79**	**78.61**	**105.01**
15	जम्मू-कश्मीर	**36.44**	**25.27**	**35.47**
16	झारखंड	**109.80**	**155.21**	**210.27**
17	कर्नाटक	**1,252.23**	**1,448.08**	**1,265.05**
18	केरल	**354.78**	**298.56**	**286.52**
19	लक्षद्वीप	**0.39**		**0.01**
20	मध्य प्रदेश	**243.55**	**215.33**	**354.50**
21	महाराष्ट्र	**3,147.66**	**3,348.82**	**3,426.31**
22	मणिपुर	**7.81**	**14.21**	**10.30**
23	मेघालय	**16.54**	**17.65**	**12.46**
24	मिजोरम	**0.11**	**0.25**	**0.97**
25	नागालैंड	**2.12**	**5.10**	**3.57**
26	ओडिशा	**697.91**	**716.81**	**567.63**
27	पुडुचेरी	**9.15**	**11.32**	**11.97**
28	पंजाब	**166.85**	**188.52**	**137.29**
29	राजस्थान	**595.49**	**734.12**	**657.86**
30	सिक्किम	**5.87**	**10.99**	**15.16**
31	तमिलनाडु	**877.08**	**1,072.02**	**1,145.67**
32	तेलंगाना	**428.06**	**445.80**	**624.22**
33	त्रिपुरा	**23.06**	**9.40**	**9.29**
34	उत्तर प्रदेश	**521.32**	**577.91**	**870.13**
35	उत्तराखंड	**172.31**	**124.70**	**155.43**
36	पश्चिम बंगाल	**382.23**	**422.95**	**464.65**
37	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया है *	**4.44**	**26.41**	**176.20**
38	समस्त भारत**	**6,429.81**	**9,385.41**	**7,684.81**
39	अधिनियम की अनुसूची VI में शामिल निधियों में योगदान	**1,155.86**	**1,789.15**	**3,417.89**
कुल योग (करोड़ रु में)		**20,196.95**	**24,954.78**	**25,714.65**

(30.09.2022 तक के आंकड़े) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

*** कंपनियों ने उन राज्यों के नामों को निर्दिष्ट नहीं किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं**

**** कंपनियों ने एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

*****

लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 850 में संदर्भित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (करोड़ रु में)				
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त 2018-19**	**वित्त 2019-20**	**वित्त 2020-21**
1	कृषि-वानिकी	64.75	67.38	19.24
2	पशु कल्याण	98.33	106.12	192.71
3	सशस्त्र सेनाएं, योद्धा, वीरांगनाएं/आश्रित	90.18	62.04	83.76
4	कला और संस्कृति	225.94	933.47	484.68
5	निर्मल गंगा कोष	8.11	6.63	13.39
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	173.55	160.60	90.96
7	शिक्षा	6,102.18	7,175.85	6,607.64
8	पर्यावरण स्थिरता	1,367.99	1,470.26	1,029.12
9	लैंगिक समानता	51.86	82.93	42.54
10	स्वास्थ्य देखभाल	3,612.03	4,902.69	7,182.67
11	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	907.64	1,077.59	821.16
12	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	731.06	931.97	1,564.89
13	गरीबी, भूखमरी का निवारण, कुपोषण	1,192.60	1,159.01	1,380.27
14	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	321.19	797.13	1,678.76
15	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2,433.44	2,299.63	1,847.15
16	स्वच्छ पेयजल	228.23	253.18	202.32
17	स्वच्छता	506.66	521.72	335.45
18	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	46.51	52.18	55.96
19	महिलागृह और छात्रावासों की स्थापना	57.01	48.50	43.27
20	अनाथाश्रम की स्थापना	12.89	36.50	21.76
21	स्लम क्षेत्र विकास	51.06	42.94	88.85
22	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	167.92	214.85	126.66
23	विशेष शिक्षा	186.13	196.88	207.61
24	स्वच्छ भारत कोष	95.50	53.42	160.85
25	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	32.10	53.50	62.62
26	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	309.59	303.72	242.49
27	व्यावसायिक कौशल	798.36	1,181.13	640.43
28	महिला सशक्तिकरण	236.54	259.37	204.80
29	एनईसी/उल्लिखित नहीं है*	87.61	503.59	282.65
कुल योग (करोड़ रु में)		20,196.95	24,954.78	25,714.65

(30.09.2022 तक के आंकड़ें) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

*कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नामों को निर्दिष्ट नहीं किया या एक से अधिक क्षेत्रों को दर्शाया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक -III

लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 850 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में जिले-वार सीएसआर व्यय (करोड़ रु में)				
क्र.सं.	जिला	विव 2018-19	विव 2019-20	विव 2020-21
1	अनंतपुर	1.62	11.73	6.70
2	चित्तूर	26.34	32.65	19.51
3	पूर्वी गोदावरी	5.09	18.16	28.86
4	गुंटूर	19.88	18.80	13.12
5	कडप्पा	1.93	3.15	10.56
6	कृष्णा	7.84	11.05	17.02
7	कुर्नुल	3.77	3.56	46.21
8	नैल्लौर	18.99	30.73	25.78
9	प्रकासम	0.91	1.29	1.16
10	श्रीकाकुलम	7.27	2.91	1.63
11	विशाखापट्टनम	29.88	26.19	55.89
12	विजियानाग्राम	1.23	2.49	2.73
13	पश्चिम गोदावरी	8.90	10.32	11.13
14	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	532.31	537.09	475.50
कुल योग (करोड़ रु में)		665.97	710.12	715.81

(30.09.2022 तक के आंकड़ें) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

**कंपनियों ने जिलों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया, जहां परियोजना चल रही थी।*

*****

अनुलग्नक-IV

लोकसभा के दिनांक 12.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 850 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**
1	कृषि वानिकी	0.10	0.18	0.28
2	पशु कल्याण	19.95	17.27	43.48
3	सशस्त्र बल, योद्धा, वीरांगनाएं/आश्रित	-	0.09	0.01
4	कला और संस्कृति	1.90	4.81	4.83
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	2.52	2.49	1.26
6	शिक्षा	144.96	159.14	120.92
7	पर्यावरणीय स्थिरता	78.50	86.30	65.97
8	लैंगिक समानता	1.25	4.04	0.05
9	स्वास्थ्य देखभाल	215.69	234.93	195.84
10	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	29.59	40.51	16.01
11	गरीबी, भूख का निवारण, कुपोषण	8.62	19.07	55.36
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	119.94	83.79	144.80
13	सुरक्षित पेयजल	12.45	10.79	18.70
14	स्वच्छता	10.55	13.50	18.84
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.81	3.71	2.83
16	महिलागृह और छात्रावासों की स्थापना	0.84	1.18	0.06
17	अनाथालय की स्थापना	0.39	0.11	0.24
18	स्लम क्षेत्र विकास	0.19	0.44	1.40
19	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	0.81	0.46	1.51
20	विशेष शिक्षा	0.94	1.15	2.03
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.11	0.59	0.07
22	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	1.54	1.49	1.64
23	व्यावसायिक कौशल	11.17	3.94	16.00
24	महिला सशक्तिकरण	3.15	20.00	3.70
25	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया*	-	0.14	-
कुल योग		**665.97**	**710.12**	**715.81**

(30.09.2022 तक के आंकड़े)   [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

***कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थी।**

*****